तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज** **निगरानी/टि.ए./391/2004/टोंक** **शक्ति सिंह बनाम रामदेवा**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15-06-2018	**एकल पीठ** **श्री महावीर सिंह, सदस्य** **उपस्थिति–** श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता प्रार्थी श्री राजेश गौतम, अधिवक्ता अप्रार्थी श्री मदन लाल गुर्जर, अधिवक्ता अप्रार्थी श्री जे0पी0 माथुर, अधिवक्ता अप्रार्थी 2/1, 2/3 **निर्णय** हस्तगत निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम,1955) की धारा 230, के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी,टोडाराय सिंह द्वारा दिनांक 14-8-2002 को वाद संख्या 131/1999 अनुवानी शक्ति सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय के विरुद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि वादी/वर्तमान निगराकार द्वारा विचारण न्यायालय में अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 व 188 के तहत ग्राम जैथल्या तह0 टोडारायसिंह स्थित भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत किया था। दौराने वाद वादी द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था कि प्रतिवादी रामदेवा पुत्र गंगाराम की मृत्यु हो चुकी है अतः उसके वारिसान को रिकार्ड पर लिया जाये। प्रतिवादी द्वारा जबाब प्रस्तुत किया कि दावा मृतक व्यक्ति के विरुद्ध दायर किया गया है अतः अबेट करार दिया जावे। अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने प्रकरण में अविधिक रुप से निर्णय करते हुये हमारे प्रार्थना पत्र को खारिज किया और दावा मृतक रामदेवा के विरुद्ध प्रस्तुत किया जाना मानते हुए अबैटमैंट के आधार पर खारिज किया है जो कि पूर्णतया अनुचित है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय की कोई साक्ष्य नहीं रही है कि रामदेवा की मृत्यु दावा दायरी से पूर्व हो चुकी है, प्रतिवादी पक्ष द्वारा भी अपने जबाब में रामदेवा की मृत्यु की दिनांक नहीं बताई है। मृतक रामदेवा के वारिसान को नोटिस जारी कर सुनने के उपरान्त ही इस बिन्दु की पुष्टि हो सकती थी। योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि वादीगण द्वारा राजस्व	

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज** **<u>निगरानी/टि.ए./391/2004/टोंक</u>** **<u>शक्ति सिंह बनाम रामदेवा</u>**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रिकार्ड में अभिलिखित खातेदार के विरुद्ध ही उन्हें पक्षकार बनाते हुये वाद दायर किया था। वादीगण को रामदेवा की मृत्यु के बारे में कोई जानकारी नहीं रही है। आदेश 22, सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना पत्र दौराने वाद मृत्यु होने पर ही पेश हो सकता है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि परीक्षण न्यायलाय ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 नियम 10–ए की पालना नहीं की है, यदि प्रतिवादी के अधिवक्ता को प्रतिवादी रामदेवा के फौत होने का ज्ञान था तो उन्हें न्यायालय के संज्ञान में इस तथ्य को लाना चाहिए था। उपखण्ड अधिकारी का आदेश बिना कोई कारण अंकित किए नॉन स्पीकिंग व नॉन रीजण्ड आदेश है। प्रकरण में गुणावगुण पर निस्तारण के लिए रामदेवा के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेना आवश्यक है। अन्त में योग्य अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय के निगरानीधीन आदेश को त्रुटि पूर्ण बताते हुये, निगरानी स्वीकार करने व रामदेवा के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेने का निवेदन किया। अप्रार्थीगण की ओर से योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि वादी द्वारा रामदेवा के दावा दायरी से पूर्व ही फौत होते हुये, उसे पक्षकार बनाते हुये वाद दायर किया गया है, अतः परीक्षण न्यायालय का आदेश उचित है। निगरानी के सीमित दायरे के अन्तर्गत इस आदेश में हस्तक्षेप उचित नहीं है, निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाये। अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश व अन्य उपलब्ध अभिलेख व विधि का अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि वादीगण द्वारा परीक्षण न्ययालय के समक्ष जो वाद दायर किया है उसमें प्रतिवादी संख्या 6 रामदेवा पुत्र गंगाराम को अंकित किया गया है। दिनांक 4–7–2000 को वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी संख्या–6 रामदेवा की मृत्युय हो चुकी है, अतः उसके विधिक वारसिान गोपी पुत्र रामदेवा व काली बेवा रामदेवा को उसके स्थान पर पक्षकार दर्ज किया जाये। प्रतिवादी रघुनाथ वगैरा की ओर से इस प्रार्थना का जबाब प्रस्तुत किया है जिसमें अंकित किया है कि रामदेवा वाद पेश करने के 4 साल पूर्व ही फौत हो गया है, वादी ने मृतक के विरुद्ध वाद पेश किया है, अतः वादी	

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज** **<u>निगरानी/टि.ए./391/2004/टोंक</u>** **<u>शक्ति सिंह बनाम रामदेवा</u>**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	का वाद अबेट हो चुका है। इस प्रकार स्पष्ट है कि दोनों ही पक्षों ने यह नहीं बताया है कि प्रतिवादी संख्या–6 रामदेवा के फौत होने की दिनांक क्या रही है। अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपने निर्णय में कहीं अंकित नहीं किया है कि प्रतिवादी संख्या–6 रामदेवा किस दिनांक को फौत हुआ है? दावा दायरी से पूर्व फौत हुआ है तो क्या प्रकरण में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 के प्रावधान लागू होते हैं? अधीनस्थ न्यायालय ने नॉन–स्पीकिंग व नॉन–रीजण्ड आदेश के द्वारा वाद को अबेट किया है। आर.आर.टी. 2014 (1) पेज 404 के अनुसार आदेश का रीजण्ड व स्पीकिंग होना आवश्यक है। फलतः उपरोक्त विवेचन व विधिक परिप्रेक्ष्य में, हस्तगत निगरानी आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है। उपखण्ड अधिकारी,टोडाराय सिंह द्वारा दिनांक 14–8–2002 को पारित आदेश को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण उन्हें प्रति प्रेषित करते हुये निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में उभय पक्ष को विधिवत रुप से सुनते हुये, रीजण्ड व स्पीकिंग निर्णय पारित करें। उभय पक्ष दिनांक 29.06.2018 को उपखण्ड अधिकारी, टोडाराय सिंह के न्यायालय में उपस्थित हो कर अपना पक्ष रखें। पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(महावीर सिंह)** **सदस्य**	